



कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

E-mail: dfoeast_bpur@rediffmail.com

07850-252223 Fax- 07850-252223

क्रमांक / मा.चि. / 2019 / **4915**
प्रति,

भानुप्रतापपुर, दिनांक **5/8/19**

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर,

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Approach Road from mines to Public Road covers an area of 0.95 ha. and the Power Line covers an area 1.62 ha. The Forest land is required for approach road and drawing overhead Power Line to our Mines, total area – 2.58 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / न.क्र.78 / 2019 / 4622 कांकेर दिनांक 26 / 07 / 2019

—000—

विषयांकित संदर्भ में आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के रक्का 2.58 हे. पहुंच मार्ग एवं विधुत लाईन विस्तार क्षेत्र प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में उठाये गये आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव मूलतः प्रेषित है :-

1. कलेक्टर जिला - उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा प्रस्तुत FRA का प्रदर्श 'स' अपलोड कर दिया गया है।
2. ले-आऊट प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र का KML File अपलोड कर दिया गया है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी. पी. एस. सर्वे रिपोर्ट तथा KML File अपलोड किया गया है।
4. वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट - II अपलोड कर दिया गया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र के घनत्व में सुधार कर दिया गया है।
6. पार्ट - II में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का नाम अंकित किया गया है।
7. डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट 5 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव / KML File

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर

भानुप्रतापपुर, दिनांक **5/8/19**

पृ.क. / मा.चि. / 2019 / 4916

प्रतिलिपि :-

श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा उरला गुमा रोड़ रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर

PART -II



(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

State serial No. of proposal FP/CG/Approach/32947/2018

7	Location of the project/scheme:		Approach Road And Power Line
(i)	State/Union Territory	Chhattisgarh	
	District	Uttar Bastar Kanker	
	Forest Division	East Bhanupratappur	
	Area of forestland proposed for diversion (in ha.)	2.58	
	Legal Status of forest	Applied area is R.F/P.F.	
	Density of vegetation.	0.6	
	Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRI-4 meters also to be enclosed.)	-	
	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	No	
	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	-	
	Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed.)	No	
	Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area-if so details thereof.	No	
	Whether any protected archaeological/heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	No	
8	Whether the requirement of forestland as proposed by the user agency in col.2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.		
9	Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.		No
10	Details of compensatory afforestation scheme:		-
	(i)	Details of non forest area/ degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	-
	(ii)	Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries	-

	(iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.	-
	(iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	-
	(v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view, (to be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests)	-
11	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi,xii), 8 and 9 above.	-
12	Division/District profile:	East Bhanupratappur Forest Division Circle Kanker
	(i) Geographical area of the district.	6633.74
	(ii) Forest area of the district	3358.370 km ²
	(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	Total Cases - 13, Area = 1361.640
	(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on	-
	(a) Forestland including penal compensatory afforestation.	-
	(b) Non-forest land	-
	(v) Progress of compensatory afforestation as on (date) _____ on	-
	(a) forestland	-
	(b) Non-forest land	-
13	Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	Recommended under the condition that company will abide by the rules of F.C.A. 1980 & condition imposed by the state Govt. from time to time.

Date :- 06/05/2019
 Place :- Durgu Kankar


R.C. DUGGA
 Divisional Forest Officer
 East Bhanupratappur Division

 Bhanupratappur

प्रदर्शन

ग्राम रामा हाटालुडी की दैठक दिनांक 28/01/2019
वा. कार्यवाही विवरण

ग्राम: हाटालुडी
 रथाम: बंजपरी मामा भैंडिर छाँगण
 आज दिनांक 28/01/2019 को ग्राम हाटालुडी के भूमि के अधिकारी श्री/स्त्री अंतलाल
ब्रावो की अध्यक्षता में ग्राम सभा की दैठक आहूत की गयी। इस दैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। दैठक में निम्न विवरों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम हाटालुडी में आवेदक म. श्री बज्रंग पावर एंटर्प्राइज (ग्रामीकारी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 20.58 हेक्टर वन भूमि निर्मित है, वन भूमि कुल 20.58 है, वन भूमि की गांग की गई है। इस प्रस्ताव दायद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपर्योग दायद ग्राम सभा की दैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (दन अधिकारी वी मान्यता) अधिनियम, 2005 के निवाम एवं प्राचीनानां पर चर्चा की गयी। जो दन भूमि लॉन्ड्रुअथड बन्रि पर्याप्त लिए पहुँचभारी एवं लेकिन्हकार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत लॉर्ड ने इस प्रश्नावधीन वन भूमि पर कृपया कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी दन अधिकार (व्यवितरण या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वन निवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वन निवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रितरित किया

गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकवा (हे.में)
1.	<u>हाटालुडी</u>	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा ने निर्णय लिया गया कि 20.58 है, वन भूमि / भूमि है।

लिखित राजरव वन भूमि, कुल योग 20.58 है, वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु नेसर्स श्री बज्रंग पावर एंटर्प्राइज (आवेदक) को अन्य प्रतिलिपि नियमों एवं प्राचीनानां अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd.
 Director Authorised Signatory
M.J.

उपरिथित सदस्य गण:

क्रमांक नाम

ग्राम वन वासी बुर्जकोइल
जनपद पंचायत बुर्जकोइल

हरताला / कर्माण निशान

हरताला नं 21
सरपन
नाम पंचायत बुर्जकोइल
जनपद कर्माण बुर्जकोइल

रील

28/01/2019
रामा

वन अधिकार समिति के सदस्यों के
हस्ताक्षर
① ३५/माइ

70

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड लौह अयस्क खनिज पट्टा के लिए पहुंच मार्ग एवं इलेक्ट्रिक ताईन के लिए भूमि के डायवर्सन हेतु काकोर जिला पूर्व में भानुप्रतापपुर (वन मण्डल के हाहालदी गांव के वन भूमि व्यपर्तन हेतु परिषेत्र दुर्गकोदल आरसीत वन कक्ष 641, 642 (पुराना 364 व 365) में कुल रकबा 2.58 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के जाच प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत होने पर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.58 हे.एव/राजस्व वन भूमि निरंक है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तन की जानी है तथा ग्राम हाहालदी तहसील दुर्गकोदल जिला काकोर में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 28/01/2019 (प्रदर्श-अ) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जाच प्रतिवेदन (प्रदर्श-‘ब’) पर दर्शित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत दुर्गकोदल ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति संजू नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 28/01/2019 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेक्टर)
		निरंक	निरंक
1.	निरंक		

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत पदस्थों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।


4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28/01/2019 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 05/02/2019 एवं ग्राम सभा के दिनांक 28/01/2019 के सकलों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य सुविधा विद्यमान नहीं है।

सलग्न-उपरोक्तानुसार।

स्थान:-काकोर

दिनांक 06/02/2019


 (श्रीमती संजू साहू)
काकोर कालांडर
 अध्यक्षिलिङ्गउत्तर लस्तीकुमारमण्डि
 जिला उत्तर बस्तर काकोर